बी0एड0 पाठ्यक्रम की फीस निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 27.5.2011 का कार्यवृत्त

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 अधिसूचना संख्या-1561/सोलह-1-2008-5(डब्ल्यू-48)/2003, दिनांक 1 मई, 2008 द्वारा उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 के तहत प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या-2463/2008-सोलह-1-5(डब्ल्यू-48)/2003, दिनांक 27 जून, 2008 द्वारा निजी क्षेत्र के बी0एड0 पाठ्यक्रम के फीस निर्धारण हेतु निम्नवत समिति का गठन किया गया है :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
2. सचिव/विशेष सचिव, वित्त विभाग
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0

2- इस समिति की बैठक दिनांक 7.4.2011 को अपरान्ह 4:00 बजे सचिव, उच्च शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में सचिव भवन स्थित उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुयी थी और उसके उपरान्त समिति द्वारा नोटिस/विज्ञप्ति संख्या-1477/सत्तर-2-2011-16(70)/2005टी0सी0, दिनांक 29 अप्रैल, 2011 के अनुक्रम में दिनांक 9 मई, 2011 से दिनांक 23 मई, 2011 तक स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित करने वाले निजी महाविद्यालयों को बी0एड0 फीस निर्धारण के संबंध में सुना गया। सुनवाई के उपरान्त लगभग 800 संस्थाओं के प्रस्ताव/बैलेन्स शीट प्राप्त हुये हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट की सेवा प्राप्त करके बी0एड0 पाठ्यक्रम के शुल्क निर्धारण के संबंध में विचार हेतु दिनांक 27 मई, 2011 को पूर्वान्ह 11:00 बजे सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय कक्ष में समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक उपरान्त समिति की संस्तुति निम्नवत है :-

(1) समिति द्वारा दिनांक 09 मई, 2011 से दिनांक 23 मई, 2011 की अवधि में प्रदेश के 11 विश्वविद्यालयों से संबद्ध निजी क्षेत्र के बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित करने वाले कुल 917 महाविद्यालयों को सुनवाई हेतु बुलाया गया। जिसके सापेक्ष लगभग 800 संस्थाओं द्वारा सुनवाई में भाग लिया गया जिसकी फीस निर्धारण की कार्यवाही की जाये।

(2) जो संस्थायें सुनवाई में नहीं आयीं हैं उनको नोटिस दिया जाये कि उनके द्वारा सुनवाई में भाग नहीं लिया गया है और न ही कोई पत्राचार/सम्पर्क किया गया है। उनको दिनांक 5.6.2011 से पूर्व उपस्थित होने और विवरण उपलब्ध कराने हेतु एक अतिरिक्त अवसर दे दिया जाये। तदोपरान्त भी उनकी उपस्थिति न होने/विवरण उपलब्ध न कराने पर उनकी फीस गुण दोष के आधार पर निर्धारित कर दी जाये तथा पृथक से उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये।

(3) शासनादेश दिनांक 9 मई, 2000 में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों की आय का 75 से 80 प्रतिशत भाग शिक्षकों/स्टाफ के वेतन भुगतान पर व्यय करने का प्राविधान है।

--2--

समिति द्वारा दिनांक 7.4.2011 को सम्पन्न बैठक में एनसीटीई के मानक के आधार पर शिक्षकों एवं स्टाफ के वेतन व्यय पर रू0 40,99,980.00 का आगणन किया गया है जिसे शासनादेश दिनांक 9 मई, 2000 के क्रम में आय का 80 प्रतिशत मानते हुए अन्य आवर्तक/अनावर्तक व्यय मद में शेष 20 प्रतिशत भाग की धनराशि रू0 10,24,995.00 जोड़ते हुए कुल धनराशि रू0 51,24,975.00 के वार्षिक व्ययभार आगणन के आधार पर 100 छात्र संख्या से विभाजित कर अनन्तिम रूप से रू0 51250/- की वार्षिक शुल्क अनुमानित की गयी है। इस शुल्क में छात्रावास, मेस एवं परीक्षा शुल्क को छोड़कर शेष समस्त अन्य शुल्क (यथा-शिक्षण शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क आदि) सम्मिलित रहेंगे। टूर शुल्क अलग से निर्धारित होगा।

(4) इस वार्षिक शुल्क में विकास मद में अतिरिक्त रूप से देय धनराशि का भी आंकलन किया जाये।

(5) सत्र 2010-11 में बी0एड0 शुल्क सरीन कमेटी द्वारा निर्धारित 145 महाविद्यालयों के अतिरिक्त शेष महाविद्यालयों के लिए रू0 30359/- वार्षिक निर्धारित थी जिसमें अन्य शुल्कों का कोई उल्लेख नहीं था। अतः स्थिति स्पष्ट करने हेतु सत्र 2011-12 एवं आगे के सत्रों के लिए फीस निर्धारण में शुल्कों का मदवार विवरण देना उचित होगा।

(6) शुल्क निर्धारण में आई0सी0ए0आई0 से प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंट की सूची में से लखनऊ के ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंट लिये जायें जो 10 वर्ष का अनुभव रखते हों और उनके न्यूनतम 3 पार्टनर हों। इस प्रकार चिन्हित 62 चार्टर्ड एकांउटेंट को संलग्न चार्ट के अनुसार आडिट हेतु महाविद्यालय आवंटित किये जायें। आवश्यकतानुसार आगे भी चार्टर्ड एकाउंटेंट की सेवायें ली जायेंगी।

(7) चार्टर्ड एकाउंटेंट की एकमुश्त फीस रू0 10,000/- + सर्विस टैक्स प्रति महाविद्यालय होगी जिसमें प्राथमिक रिपोर्ट के उपरान्त रू0 2500/- का भुगतान होगा तथा स्थलीय निरीक्षण एवं अंतिम रिपोर्ट के उपरान्त शेष रू0 7500+ सर्विस टैक्स का भुगतान किया जायेगा। यदि निर्धारित चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा कार्य समय से पूरा नहीं किया जाएगा तो उनका आवंटन आदेश निरस्त किया जा सकता है।

(8) नियमावली के प्राविधानानुसार फीस समिति के क्रियाकलाप पर होने वाला व्यय प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया जाना चाहिए। ऐसे में सम्भावित व्यय भार बताते हुए प्राविधिक शिक्षा विभाग से सहमति प्राप्त कर ली जाये। यदि कोई कठिनाई हो तो बी0एड0 प्रवेश परीक्षा शुल्क से विश्वविद्यालयों को हुयी आय की बचतों में से उच्च शिक्षा परिषद के माध्यम से समिति के क्रियाकलाप पर होने वाले व्यय, जिसमें चार्टर्ड एकाउंटेंट की फीस शामिल होगी, का वहन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा करने पर प्राविधिक शिक्षा विभाग से सहमति प्राप्त कर ली जाये। इस हेतु राज्य सरकार पर

पृथक से कोई वित्तीय व्यय भार नहीं आना चाहिए।

(9) चार्टर्ड एकाउंटेंट को डाटा एनालिसिस के लिए संस्थाओं को ई-मेल अथवा फोन से सूचित करके शीघ्रता से सूचना मंगाकर, संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करके संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी बैलेन्स शीट/आडिट रिपोर्ट के आधार पर संस्था की वास्तविक आय-व्यय की स्थिति का परीक्षण करना होगा।

(10) चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संस्था के शिक्षक एवं अन्य स्टाफ के 2 वर्ष के वेतन भुगतान संबंधी विवरण लिये जायेंगे और बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान होने की जांच संस्था के वेतन रजिस्टर, बैंक अन्तरण शीट एवं संबंधित कर्मचारी के बैंक खाते के आधार पर किया जायेगा।

(11) चार्टर्ड एकाउंटेंट को मामलों का परीक्षण करने हेतु चेक लिस्ट तैयार कर दी जायेगी।

(12) उक्त शर्तों पर कार्य करने हेतु जिन चार्टर्ड एकाउंटेंट की सहमति नहीं प्राप्त होती है, उन्हें आवंटित महाविद्यालय दूसरे चार्टर्ड एकाउंटेंट को आवंटित कर दिये जायें।

(13) प्रकरण का परीक्षण कर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा फीस निर्धारण के संबंध में अपनी अनन्तिम/प्राथमिक (Tentative/Primary) रिपोर्ट दिनांक 10.6.2011 तक स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त अंतिम संस्तुति दिनांक 20 जून, 2011 तक उपलब्ध करा दी जायेगी।

<u>संलग्नकः चार्टर्ड एकाउंटेंट को संस्था आवंटन की सूची।</u>

डा0 रामानंद	**विद्यासागर शुक्ल**	**अवनीश कुमार अवस्थी**
निदेशक, उच्च शिक्षा,	विशेष सचिव, वित्त विभाग,	सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
सदस्य समिति	उ0प्र0शासन	उ0प्र0 शासन
	सदस्य समिति	अध्यक्ष, समिति

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-2
संख्या-1725/सत्तर-2-2011-16(70)/2005टी0सी0
लखनऊः दिनांक : 6| जून, 2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

(2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।

(3) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(4) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(5) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश
(6) अध्यक्ष, आई0सी0ए0आई0, लखनऊ शाखा आई0सी0ए0आई0 भवन, जागृति इंस्टीट्यूशनल एरिया विकास खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
(7) संलग्न सूची में उल्लिखित समस्त चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म। (नाम से)
(8) समिति के समस्त सदस्यगण।
(9) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ।
(10) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
(11) विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव